जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4493

दिनांक : 30/01/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से प्राप्त अनुमोदन अनुसार स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 के पद क्रमांक (25) के निर्णयानुसार **अभिषेक नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर** को सत्र 2009-2010 के लिए **बी.एस-सी. (नर्सिंग) प्रथम वर्ष** एवं सत्र 2010-11 के लिए **बी.एस-सी. (नर्सिंग) द्वितीय वर्ष** एवं सत्र 2010-11 के लिए **पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. (नर्सिंग) प्रथम वर्ष** पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है -

वस्तुस्थिति :-

1. यह निरीक्षण सत्र 2009-10 एवं 2010-11 के लिए किया गया इस अवधि में यह महाविद्यालय संलग्न भाड़ा अनुबंध (24AA586165) के अनुसार एकतीन मंजिला भवन में जो नगर निगम ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 60 में गुड़ी गुड़ा का नाका लश्कर के स्थित था, में संचालित किया जा रहा था एवं वर्तमान में यह महाविद्यालय इन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र (I004011) के अनुसार गुड़ी गुड़ा का नाका तिराहा भवन में संचालित किया जा रहा है, एवं समिति के सदस्यों को इसी भवन का निरीक्षण कराया गया उपरोक्त सत्रो मे किराए के भवन में उपलब्ध सुविधाओं के ऊपर (जिसका निरीक्षण नहीं कराया गया) टिप्पणी करना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है।
2. इन सत्रों महाविद्यालय में संचालित बी.एस-सी. नर्सिंग एवं पोस्ट बैसिक बी.एस-सी नर्सिंग की परीक्षाएँ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सम्पन्न कराई जा चुकी है। अतः केवल इन्हीं छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सत्रों के लिए इस महाविद्यालय के बी.एस-सी. नर्सिंग एवं पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग के छात्रों का परीक्षा परिणाम यदि न्याय संगत हो तो विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किए जाने पर विचार किया जा सकता हैं।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. अभिषेक नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

I:\Yogi\Adhisoochna.doc

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5866

दिनांक: 26.6.12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध **अभिषेक नर्सिंग कॉलेज**, ग्वालियर (0751-2620330) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. नर्सिंग तृतीय वर्ष, पोस्ट बैसिक बी.एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाऐं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (0751-2442828) **(संयोजक)**
(2) डॉ. अनुराग चौहान, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
(3) डॉ. अजीत सिंह राजपूत, आचार्य, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।
(4) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाऐं अंकित करें। **महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।**

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रू. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्नगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-
1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)